कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/22200/वो–II/2009–18/ दिनांक : 16.10.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।

विषयः– राज्य में विधानसभा निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया के सुचारू संचालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में दिनांक : 06 अक्टूबर 2018 को निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। उक्तानुरूप विधानसभा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के सुचारू सम्पादन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। राज्य में विधानसभा चुनाव से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी तथा स्थानीय प्रशासन से समुचित समन्वय एवं सहयोग हेतु अग्रांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु क्षेत्राधिकार के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करें :–

1. निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना के साथ–साथ आगामी दिसम्बर माह में आयोज्य अर्द्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिगत विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था एवं निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्णता हेतु यथोचित कार्यवाही सम्पादित करावें।
2. निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशों एवं प्रक्रिया की पालना के साथ ही शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशों का पालन तथा गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. शिविरा पंचांग में वर्णित अवकाशों की सुनिश्चितता के साथ ही पूर्व घोषित अवकाशों में स्वयं के स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नही किया जाये, परन्तु अवकाश काल में चुनाव ड्यूटी, मतदान केन्द्र निरीक्षण जैसे आकस्मिक कार्यो की समयबद्ध पालना हेतु संस्था प्रधान द्वारा अवकाश के दिन विद्यालय समय में विद्यालय कार्यालय खुला रखे जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित की जाएगी।

C:\Users\Secondary\Downloads\Genral letter (1).docx122

Scanned by CamScanner

4. विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक क्षेत्राधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों/अधिकारियों की अवकाश स्वीकृति संबंधित कार्यवाही निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार तथा निर्धारित अवधि हेतु ही की जाए तथा निर्धारित अवधि से अधिक का आवेदन स्वीकृति हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवाया जाए। समस्त कार्मिक पूर्व सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही मुख्यालय परित्याग कर सकेंगें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C:\Users\Secondary\Downloads\Genral letter (1).docx123

Scanned by CamScanner